फोन / फैक्स : 0135–2621669 ई–मेल : director.rajaji@gmail.com

कार्यालय–निदेशक / वन संरक्षक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून, उत्तराखण्ड।

5 / 1, अंसारी मार्ग, देहरादून, 248001

पत्रांक 2000 / 124 देहरादून, दिनांक 22-10-2020

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– **जनपद–उत्तरकाशी के अन्तर्गत सूपिन नदी पर प्रस्तावित 44 मेगावाट क्षमता की जखोल–सांकरी जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु 24.317है0 वन भूमि के सम्बन्ध में। (ऑनलाईन प्रस्ताव सं0–FP/UK/HYD/22889/2016)**

सन्दर्भ :– भारत सरकार, पर्यावरण वन एंव जलवायु पविर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–केन्द्रीय) देहरादून की फाईल सं0 8बी / यू.सी.पी. / 01 / 146 / 2018 / एफ.सी. / 1426 दिनांक 30–09–2020

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में विषयांकित प्रकरण के प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा चाही गयी बिन्दु सं0 1 के अनुपालन में उप निदेशक, गोविन्द वन्यजीव विहार /राष्ट्रीय पार्क, पुरोला द्वारा अपने पत्र सं0 366 / 12–1, दिनांक 08–10–2020 (प्रति संलग्न) के द्वारा वांछित सूचना /संगत अभिलेख ऑनलाईन एंव हार्ड प्रति में इस कार्यालय में अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी है। संगत दस्तावेजों की दो–दो हार्ड प्रति (मूल में) अग्रेतर कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अतः अनुरोध है कि प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही करने का कृपा करें।

संलग्नक–: उक्तानुसार।

भवदीय

(डी0के0सिंह)
निदेशक / वन संरक्षक,
राजाजी टाइगर रिजर्व, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

पत्रांक 2000/124/दिनांकित।

प्रतिलिपि – उप निदेशक, गोविन्द वन्यजीव विहार /राष्ट्रीय पार्क, पुरोला (उत्तरकाशी) को उनके पत्र सं0 366 / 12–1, दिनांक 08–10–2020 के कम में सूचनासर्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डी0के0सिंह)
निदेशक / वन संरक्षक,
राजाजी टाइगर रिजर्व, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

13/10/2020

कार्यालय–उपनिदेशक, गोविन्द वन्य जीव विहार/राष्ट्रीय पार्क, पुरोला।

पुरोला, दूरभाष एवं फैक्स नं0.01373-223433,Email- gwlspurola@gmail.com

पत्रांक 366 /12-1 पुरोलाः दिनांक 08/10/2020

सेवा में,

निदेशक/वन संरक्षक,
राजाजी टाईगर रिजर्व,
उत्तराखण्ड़, देहरादून।

विषयः– **जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत सूपिन नदी पर प्रस्तावित 44 मेगावाट क्षमता की जखोल–सांकरी जन विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु 24.317 है0 वन भूमि के सम्बन्ध में। (FP/UK/HYD/22889/2016)**

सन्दर्भः– **भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–केन्द्रीय क्षेत्र) का पत्रांक सं0–8बी/यू0सी0पी0/01/146/2018/एफ0सी0/1426, दिनांक–30.09.2020।**

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा Digital map and KML File के सम्बन्ध में लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण ऑनलाईन एवं ऑफलाईन निम्न प्रकार हैः–

1. पैरा 13 पार्ट 2 में अपलोड डिजिटल मैप में जाख 13बी एवं गुन्दियाट गांव 7ए (30 है0) को क्रास किया गया है एव रतेड़ी 4, देवढुंग 3 को यथावत रखा गया है, जिसके स्थान पर तीन नये क्षतिपूरक स्थलों (रामा 4ए, जाख 13बी, जाख 8बी) 30 है0 का चयन किया गया है।
2. KMF File में संशोधन करके 50 है0 (5 sites) क्षतिपूरक वनीकरण भूमि को अपलोड कर दिया गया है।
3. कुल चयनित 5 क्षेत्र देवढुंग क0स0 3 (10 है0), रतेड़ी क0स0 4 (10 है0), जाख 13बी (10 है0), जाख 8बी (10 है0) एवं रामा 4ए (10 है0), कुल 50 है0 क्षेत्रफल क्षतिपूरक वनीकरण क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया तथा यह पाया गया कि यह वन भूमि झाडीयुक्त, ढालदार क्षेत्र है, जिससे विद्यमान वृक्षों के क्षत्र आपस मे मिलते हुये प्रतीत होते है जबकि क्षेत्र का वन घनत्व 0.4 से कम है। यह क्षेत्र वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पायी गयी हैं। उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न हैं।

कार्यालय नि0 रा0 टा0 रि0
पंजिका क्रमांक 4243
पत्रावली संख्या 12-1
दिनांक 13-10-2020
सर्वेयर

भवदीय

(सुबोध कुमार काला)
उप निदेशक,
गोविन्द वन्य जीव विहार/रा0पा0
पुरोला, उत्तरकाशी।

पत्रांक / समदिनांकित

प्रतिलिपिः– अपर प्रमुख वन संरक्षक, नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड़, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

(सुबोध कुमार काला)
उप निदेशक,
गोविन्द वन्य जीव विहार/रा0पा0
पुरोला, उत्तरकाशी।

परियोजना का नाम – जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना 44 मेघावाट के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूरक वृक्षोरोपण क्षेत्र की उपयुक्तता का प्रमाण पत्र–

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी के अन्तर्गत सुपिन नदी पर प्रस्तावित जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना 44 मेघावाट के निर्माण हेतु हस्तान्तरित होने वाली सिविल सोयम वनभूमि (24.317 है0) के बदले दुगुनी अवनत क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आरक्षित वनभूमि जाख कक्ष संख्या– 13, बी क्षेत्रफल 10.00 है0 का निरीक्षण किया गया तथा यह पाया गया कि यह वनभूमि झाडीयुक्त ढालदार क्षेत्र है जिसमें विद्यमान वृक्षों के छत्र आपस में मिलते हुये प्रतीत होते है जबकि क्षेत्र का वन घनत्व 0.4 से कम है। यह क्षेत्र क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपुयक्त पायी गयी है।

उप वन संरक्षक,
टौन्स वन प्रभाग, पुरोला

प्रभागीय वनाधिकारी
टौन्स वन प्रभाग
पुरोला (उत्तराखण्ड)

परियोजना का नाम – जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना 44 मेघावाट के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूरक वृक्षोरोपण क्षेत्र की उपयुक्तता का प्रमाण पत्र–

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी के अन्तर्गत सुपिन नदी पर प्रस्तावित जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना 44 मेघावाट के निर्माण हेतु हस्तान्तरित होने वाली सिविल सोयम वनभूमि (24.317 है0) के बदले दुगुनी अवनत क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आरक्षित वनभूमि रामा कक्ष संख्या– 4 ए, क्षेत्रफल 10.00 है0 का निरीक्षण किया गया तथा यह पाया गया कि यह वनभूमि झाडीयुक्त ढालदार क्षेत्र है जिसमें विद्यमान वृक्षों के छत्र आपस में मिलते हुये प्रतीत होते है जबकि क्षेत्र का वन घनत्व 0.4 से कम है। यह क्षेत्र क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपुयक्त पायी गयी है।

उप वन संरक्षक,
टौन्स वन प्रभाग, पुरोला

प्रभागीय वनाधिकारी
टौन्स वन प्रभाग
पुरोला (उत्तराखण्ड)

परियोजना का नाम – जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना 44 मेघावाट के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूरक वृक्षोरोपण क्षेत्र की उपयुक्तता का प्रमाण पत्र–

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी के अन्तर्गत सुपिन नदी पर प्रस्तावित जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना 44 मेघावाट के निर्माण हेतु हस्तान्तरित होने वाली सिविल सोयम वनभूमि (24.317 है0) के बदले दुगुनी अवनत क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आरक्षित वनभूमि जाख कक्ष संख्या–8 बी, क्षेत्रफल 10.00 है0 का निरीक्षण किया गया तथा यह पाया गया कि यह वनभूमि झाडीयुक्त ढालदार क्षेत्र है जिसमें विद्यमान वृक्षों के छत्र आपस में मिलते हुये प्रतीत होते है जबकि क्षेत्र का वन घनत्व 0.4 से कम है। यह क्षेत्र क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपुयक्त पायी गयी है।

उप वन संरक्षक,
टौन्स वन प्रभाग, पुरोला

प्रभागीय वनाधिकारी
टौन्स वन प्रभाग
पुरोला (उत्तराखण्ड)

परियोजना का नाम – जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना 44 मेघावाट के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूरक वृक्षोरोपण क्षेत्र की उपयुक्तता का प्रमाण पत्र–

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी के अन्तर्गत सुपिन नदी पर प्रस्तावित जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना 44 मेघावाट के निर्माण हेतु हस्तान्तरित होने वाली सिविल सोयम वनभूमि (24.317 है0) के बदले दुगुनी अवनत क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आरक्षित वनभूमि रतेडी कक्ष संख्या– 4 क्षेत्रफल 10.00 है0 का निरीक्षण किया गया तथा यह पाया गया कि यह वनभूमि झाडीयुक्त ढालदार क्षेत्र है जिसमें विद्यमान वृक्षों के छत्र आपस में मिलते हुये प्रतीत होते है जबकि क्षेत्र का वन घनत्व 0.4 से कम है। यह क्षेत्र क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपुयक्त पायी गयी है।

उप वन संरक्षक,
टौन्स वन प्रभाग, पुरोला

प्रभागीय वनाधिकारी
टौन्स वन प्रभाग
पुरोला (उत्तराखण्ड)

परियोजना का नाम – जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना 44 मेघावाट के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूरक वृक्षोरोपण क्षेत्र की उपयुक्तता का प्रमाण पत्र–

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी के अन्तर्गत सुपिन नदी पर प्रस्तावित जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना 44 मेघावाट के निर्माण हेतु हस्तान्तरित होने वाली सिविल सोयम वनभूमि (24.317 है0) के बदले दुगुनी अवनत क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आरक्षित वनभूमि देवढुंग कक्ष संख्या– 3 क्षेत्रफल 10.00 है0 का निरीक्षण किया गया तथा यह पाया गया कि यह वनभूमि झाडीयुक्त ढालदार क्षेत्र है जिसमें विद्यमान वृक्षों के छत्र आपस में मिलते हुये प्रतीत होते है जबकि क्षेत्र का वन घनत्व 0.4 से कम है। यह क्षेत्र क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपुयक्त पायी गयी है।

उप वन संरक्षक,
टौन्स वन प्रभाग, पुरोला

प्रभागीय वनाधिकारी
टौन्स वन प्रभाग
पुरोला (उत्तराखण्ड)